अध्याय- 13

- अनुशंसाओं का सारांश
- अनुलग्नकों की सूची

अनुशंसाओं का सारांश

1 आयोग अनुशंसा करता है कि, **"राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं पर समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु, वित्त विभाग के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ में वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थ करते हुये कृत कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार करने तथा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के नियमित अनुश्रवण का कार्य प्रकोष्ठ के दायित्वों में शामिल किया जाये।" (परिच्छेद 3.31)**

2 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि, **"वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग की वेबसाइट को आगामी राज्य वित्त आयोग के गठन तक यथोचित तरीके से वर्तमान स्वरूप में सुरक्षित रखे जिससे कि छ.ग. राज्य वित्त आयोग संबंधी जानकारी, अन्य राज्य वित्त आयोगों एवं आम शोधार्थियों के लिये आसानी से उपलब्ध रहे। यह कार्य वित्त विभाग में गठित, राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ को सौपा जाये।" (परिच्छेद 3.33)**

3 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि, **"राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का अनुश्रवण करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, राजस्व, खनिज एवं खनिकर्म तथा वणिज्यिक कर विभाग के सचिवों की समिति गठित की जाये। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित 'राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ' के प्रभारी अधिकारी को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया जाये।" (परिच्छेद 3.34)**

4 आयोग अनुशंसा करता है कि **"विधानसभा की "स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति" अन्य विषयों के साथ 'राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही प्रतिवेदन के क्रियान्वयन का भी अनुश्रवण करे।" (परिच्छेद 3.35)**

5 आयोग की अनुशंसा है कि **"संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित 29 विषयों से संबंधित कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन (Devolution) करने के लिये आवश्यक है कि, सर्वप्रथम, कोष, कार्य और कार्मिकों (Fund, Function, Functioanries-FFF) को सम्मिलित करते हुये विभाग वार विस्तृत कार्यकलाप चित्रण (Activity Maping) किया जाये।" (परिच्छेद 5.18)**

6 आयोग की अनुशंसा है कि **"अनुशंसा (परिच्छेद 5.18) अनुसार कार्यकलाप चित्रण में कोष, कार्यों और कार्मिकों के पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन किये जाने हेतु पहचान करने के पश्चात्, उसमें से न्यूनतम कोष, कार्यों और कार्मिकों के न्यागमन से प्रक्रिया प्रारंभ की जाये। न्यागमन किये जाने वाले कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिये तथा कोष के साथ विधि सम्मत आदेश/अधिसूचना द्वारा, कार्यों से संबंधित कर्मचारियों का पूर्ण नियंत्रण पंचायतों को दिया जाना संभव न हो तो, प्रारंभ में, आंशिक नियंत्रण पंचायतों को अवश्य सौंपा जाये।" (परिच्छेद 5.19)**

7 प्रदेश के पंचायत क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में शौचालय की उपलब्धता संतोषजनक है, तथा जल–जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना प्रगति पर है। पक्की सड़क, नाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सेवाओं में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इन सेवाओं में मांग और उपलब्धता के बीच अन्तरालों का उल्लेख संबंधित बिन्दुओं पर किया गया है। **आयोग इन अन्तरालों की पूर्ति करने के लिए, समयबद्ध कार्य योजना बनाने की अनुशंसा करती है। इसके लिए वित्त व्यवस्था की अनुशंसा अध्याय 12 में की गई है। (परिच्छेद 7.54)**

8 आयोग अनुशंसा करती है कि, **"राज्य के बजट पत्र में लोक लेखा के आरक्षित निधि के अंतर्गत, भू–राजस्व उपकर तथा पंजीयन शुल्क में उपलब्ध 181.53 करोड़ रू. तथा ग्रामीण विकास निधि में उपलब्ध 30 करोड़ रू. को पंचायतों को उपलब्ध कराने हेतु आगामी बजट में प्रावधान किया जाए तथा ये राशियाँ भविष्य में नियमित रूप से पंचायतों को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए"। (परिच्छेद 8.6)**

9 आयोग यह अनुशंसा करती है कि **वर्ष 2010 से आबकारी शुल्क पर स्थानीय निकायों हेतु 10 प्रतिशत लगाये गये अधिभार की गणना कर, शासन अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्थानीय निकायों को अवशेष राशि का वितरण किया जाए तथा आगामी बजट में इसके नियमित भुगतान हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किये जायें। (परिच्छेद 8.8)**

10 **ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में निर्धारित दरों के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा कर अथवा फीस अधिरोपित किया जा रहा है। वर्तमान में आयोग द्वारा एकत्रित समंक के आधार पर ग्राम पंचायतों का स्वयँ के स्रोतों से अनुमानित आय 159.45 करोड़ रू. प्रतिवर्ष है। ग्राम पंचायतों के वित्तीय प्राप्तियों में स्वयँ के राजस्व का योगदान मात्र 03 प्रतिशत है, जिसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, इस हेतु आयोग की निम्नलिखित अनुसंशाएँ हैं – (परिच्छेद 8.30)**

(I) **पंचायतों के जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक कर्मियों द्वारा नागरिकों से कर अदायगी के संबंध में सतत् विमर्श कर जागरूकता लाने के प्रयास किये जायें।**

(ii) **ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में निर्धारित कर दरों के पुनरीक्षण पर विचार किया जाए तथा कर दरों में वृद्धि और आवश्यकतानुरूप युक्तियुक्तकरण की अनुकूलतम संभावनाओं की तलाश किया जाए।**

(iii) **ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं फीस नियम, 1996 में दरों का निर्धारण न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के आधार पर किया गया है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायतें विहित प्रक्रिया के अंतर्गत करारोपण की राशि निर्धारित करती हैं, तत्पश्चात् निर्धारित कर अथवा फीस अधिरोपित करती हैं। राज्य में 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा कर अथवा फीस का अधिरोपण ही नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त नियम में यह प्रावधान किया जाए कि "यदि ग्राम पंचायत द्वारा कर अथवा फीस की दर का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो नियम में उल्लेखित न्यूनतम कर अथवा फीस की दर स्वयमेव अधिरोपित होगी, तथा इसकी वसूली अनिवार्य होगी," का नियम में प्रावधान करने पर विचार किया जाए।**

11 ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2022 में 14,559 करोड़ का अंतिम शेष अनुमानित है। ग्राम पंचायतों से प्राप्त समंक के अनुसार गैर कर राजस्व आय में, ब्याज से प्राप्त राशि का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है। अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त ब्याज राशि के व्यय करने हेतु नियम बनाये जाएं"। (परिच्छेद 8.56)**

12 पंचायती राज संस्थाओं में लेखांकन एवं लेखा संधारण मानक स्तर पर नहीं है, जिसके कारण सुसंगत आंकड़े प्राप्त नही होते हैं, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"पंचायत संस्थाओं में बजट तथा लेखांकन के वर्गीकरण हेतु शासन द्वारा नियम बनाए जायें, जिसमें लेखांकन के वर्गीकरण की विधि, शासन के लिए बनाए गये वर्गीकरण के अनुरूप हो"। इस हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें महालेखाकार, वित्त विभाग, संचालक–राज्य संपरीक्षा तथा पंचायत विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। (परिच्छेद 8.59)**

13 **पंचायतों में बजट तथा लेखांकन के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाए,** जिससे लेखा एवं लेखा संधारण में एकरूपता, गुणवत्ता, शुद्धता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और नीति निर्धारण हेतु विश्वसनीय समंक प्राप्त किया जा सके। (परिच्छेद 8.60)

14 आयोग की अनुशंसा है कि **"ग्राम पंचायतों की संख्या सीमित करने पर विचार किया जाए तथा ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन, जनसंख्या और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर किया जाए। पेसा (PESA) तथा गैर पेसा ग्राम पंचायतों के लिए जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन हेतु भिन्न–भिन्न सीमायें निर्धारित किया जाना उचित होगा।" (परिच्छेद 8.74)**

15 आयोग की अनुशंसा है कि **"नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के लिए निर्धारित संकेतकों अथवा स्तरांकों में विद्यमान पूर्ति अन्तराल के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जायें",** इन अन्तरालों के लिए वित्तीय व्यवस्था की अनुशंसाएँ अध्याय 12 में की गई हैं। **(परिच्छेद 9.27)**

16 **आयोग की अनुशंसा है कि "स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए"। (परिच्छेद 9.82)**

17 आयोग अनुशंसा करती है कि **"राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित वितरण सूत्र तथा उस पर शासन द्वारा दी गई सहमति, अथवा यथोचित संशोधनों या परिवर्तनों के साथ सहमति, के अनुरूप, नगरीय निकायों के मध्य राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाये"। (परिच्छेद 10.12)**

18 छत्तीसगढ़ नगर पालिका नगर विकास निधि में मार्च, 2022 की स्थिति में 966.10 करोड़ रू अंतिम शेष था, यह नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु शासन से प्राप्त राशि है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"नगरीय निधि में नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु प्राप्त राशि का 15 दिनों के अंदर संबंधित निकायों को हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाये, तथा इसका उत्तरदायित्व नगर प्रशासन एवं विकास संचालनालय को दिया जाये"। (परिच्छेद 10.13)**

19 प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का स्थापना व्यय, स्वयँ के राजस्व का लगभग 97 प्रतिशत है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"स्थापना व्यय की समीक्षा कर उसमें कमी किया जाए"। (परिच्छेद 10.32)**

20 आयोग की अनुशंसा है कि **"नगरीय निकायों में लेखा संधारण का कार्य पुनः संस्थागत किया जाए, इस हेतु समयावधि निर्धारित किया जाए तथा इस हेतु अधिकारियों–कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए"। (परिच्छेद 10.35)**

21 नगरीय निकायों में बजट एवं लेखांकन के वर्गीकरण हेतु शासन द्वारा नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। आयोग की अनुशंसा है कि **"नगरीय निकायों के लिए लेखांकन के वर्गीकरण की विधि बनायी जाए, जिसमें लेखांकन के वर्गीकरण की विधि, शासन के लिए बनाये गये वर्गीकरण के अनुरूप हो"। इस हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें महालेखाकार, वित्त विभाग, संचालक–राज्य संपरीक्षा तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। (परिच्छेद 10.36)**

22 **प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बजट तथा लेखांकन के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाए,** जिससे लेखा एवं लेखा संधारण में एकरूपता, गुणवत्ता, शुद्धता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और नीति निर्धारण हेतु विश्वसनीय समंक प्राप्त किया जा सके। **(परिच्छेद 10.37)**

23 नगरीय निकायों में अंकेक्षण हेतु शेष लंबित वर्षों की संख्या अत्यधिक है, अतः आयोग की अनुशंसा है कि **"छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा इस पर समयबद्ध कार्यवाही की जाए"। (परिच्छेद 10.39)**

24 नगरीय निकायों में वर्तमान में 8510.43 करोड़ रू के 81,434 आपत्तियाँ निराकरण हेतु लंबित है, अतएव आयोग की अनुशंसा है कि **"समयसीमा निर्धारित कर आपत्तियों का निराकरण किया जाए"। (परिच्छेद 10.41)**

25 आयोग की अनुशंसा है कि **"नगर पंचायतों तथा नगर पालिका परिषदों के स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों का 25 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया जाए"। (परिच्छेद 10.49)**

26 आयोग की अनुशंसा है कि **"राजस्व व्यय में स्थापना व्यय तथा संधारण व्यय का अनुपात निश्चित किया जाए और उसके आधार पर समस्त नगरीय निकायों का पर्यवेक्षण किया जाए"। (परिच्छेद 10. 55)**

27 **नगरीय निकायों के लिये निर्धारित सेवा स्तरांकों, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की मॉनिटरिंग के लिये सुझाये गये पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सेवा स्तरांकों तथा राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रायोजित अध्ययन में सुझाये गये सेवा स्तरांकों के आधार पर, आयोग, ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली नागरिक सेवाओं के अनुश्रवण के लिये तालिका क्रमांक 12.3 के अनुसार सेवा स्तरांक निर्धारित करने की अनुशंसा करता है।**

28 **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि प्रदेश के नगरीय निकायों मे मल जल निकासी की सुविधा विकसित करने के लिये निकायों का अध्ययन कर, योजना बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये और समिति की अनुशंसा**

अनुसार, योजना का क्रियान्वयन तथा राशि की व्यवस्था, राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से की जाये। (परिच्छेद 12.27)

29 अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनके द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं का, निर्धारित बेंचमार्क के विरूद्ध नियमित अनुश्रवण किया जाये। बेंचमार्क के विरूद्ध, निकायों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति संबंधी आंकड़े, वेबसाईट के माध्यम से सार्वजनिक भी किये जायें। (परिच्छेद 12.37)

30 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि आंकड़े प्राप्त करने के लिये पंचायत एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, द्वारा राज्य वित्त आयोग के सॉफ्टवेयर एवं मोबाईल एप, का उपयोग किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में स्थानीय निकायों द्वारा जानकारी फीड करने के पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्राप्त होती है। दोनों संचालनालय द्वारा न्यूनतम प्रयास से आवश्यकतानुरूप, चिप्स (CHIPS) के माध्यम से सॉफ्टवेयर में सुधार करवाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर चिप्स के सर्वर में उपलब्ध है। (परिच्छेद 12.38)

31 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि ग्राम पंचायतों को करारोपण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से जितनी आय प्राप्त की जाती है, उसके समतुल्य राषि, निष्पादन अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाये। (परिच्छेद 12.45)

32 अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि जिस प्रकार संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग से स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तथा खनिज विभाग से गौण खनिज रॉयल्टी की राशि संबंधी जानकारी प्राप्त कर अपने बजट में सम्मिलित करते हुये नगरीय निकायों को उसका अंतरण किया जाता है, उसी प्रकार पंचायत संचालनालय भी अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क तथा गौण खनिज रॉयल्टी की राशि संबंधी जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त कर अपने बजट में सम्मिलित करे और पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण की कार्यवाही करे। (परिच्छेद 12.49)

33 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि गौण खनिज रायल्टी की 33 प्रतिशत राशि जो पंचायत संचालनालय को दी जाती है, उसे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जाये। (परिच्छेद 12.50)

34 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायत विभाग द्वारा वित्त विभाग तथा राजस्व विभाग से समन्वय कर, संभावित भू–राजस्व उपकर की राशि का आंकलन करे तथा उसके समतुल्य राशि, ग्राम पंचायतों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाये। (परिच्छेद 12.51)

35 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि अधिरोपित उपकर से संग्रहित राशि, जो ग्रामीण विकास निधि में जाती है, को तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाये एवं नियमित रूप से इसका अंतरण प्रारंभ किया जाये। गत पांच वर्षो में उपकर की राशि तालिका क्र. 12.16 में दी गई है। (परिच्छेद 12.52)

36 आयोग अनुशंसा करता है कि 10 प्रतिशत आबकारी अधिभार की राशि का नियमित अंतरण किया जाये। (परिच्छेद 12.53)

37 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय निकायों को परिच्छेद 12.54 में (क्रमांक 3 से 8) 6 मदों में दिये जा रहे अनुदान के स्थान पर, उसके समतुल्य राशि, राज्य वस्तु एवं सेवा कर के 7.72 प्रतिशत राशि, समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में प्रदान की जाये। (परिच्छेद 12.54 एवं 12.55)

38 राज्य वित्त की स्थिति को देखते हुये राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि राज्य के शुद्ध कर आय की, 10 प्रतिशत राशि का हस्तान्तरण, स्थानीय निकायों को किया जाये। (परिच्छेद 12.58)

39 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि स्थानीय निकायों की आवश्यकता के अंतराल को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी मांग, 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग से की जाये और राज्य शासन द्वारा इसे अपने ज्ञापन में सम्मिलित किया जाये। (परिच्छेद 12.61)

40 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि कुल अनुशंसित राशि में से 70 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा 30 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अंतरित की जाये। (परिच्छेद 12.65)

41 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायती राज संस्थाओं के मध्य अनुशंसित राशि का वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाये। (परिच्छेद 12.73)

42 राज्य वित्त आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या कम होती है, इसलिये जनसंख्या मानदण्ड को अपनाने से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को हानि न हो इसलिए सामान्य रूप से सभी ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतो को, प्रति ग्राम पंचायत 2.5 लाख रूपये अतिरिक्त रूप से दी जाये। (परिच्छेद 12.74)

43 राज्य वित्त आयोग अनुशंसित राशि का नगरीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय वितरण के लिये निम्नानुसार मानदण्डों की अनुशंसा करती है। (परिच्छेद 12.75)

नगरीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय वितरण हेतु मानदण्ड

मानदण्ड	मानदण्ड का भार
जनसंख्या	90
क्षेत्र	10

44 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन की जाने वाली राशि, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मध्य क्रमशः 85 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत के अनुपात में विभाजित की जाये। (परिच्छेद 12.77)

45 राज्य वित्त आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएँ करता है :–

1. आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिये अनुशंसित कुल राशि में से 30 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं को अनाबद्ध [United] प्रदान की जाये, जिससे कि पंचायती राज

संस्थाएँ इस राशि का उपयोग, नागरिकों को मूलभूत नागरिक सेवायें प्रदान करने के लिये, उनके संधारण पर व्यय कर सकें।

2. अनुशंसित राशि का 60 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को पूंजीगत कार्यों के संपादन के लिये प्रदान किया जाय। यह राशि आबद्ध (Tied) हो सकती है। पूंजीगत मद में, आयोग द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (स्वच्छता एवं साफ–सफाई), आंतरिक सड़क/गलियों का निर्माण, नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाइटिंग संबंधी कार्यो को ही पूंजीगत व्यय के अनुदान में सम्मिलित किया गया है। इन मदों के अंतर्गत व्यय करने के विस्तृत निर्देश विभाग द्वारा जारी किये जायें।

3. राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि में, 5 प्रतिशत राशि से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को, प्रति ग्राम पंचायत 2.50 लाख की दर से, अतिरिक्त राशि प्रदान की जाये।

4. अनुशंसित राशि में 5 प्रतिशत राशि से, ग्राम पंचायतों को स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किये जाने हेतु निष्पादन अनुदान के रूप मे दी जाये। (परिच्छेद 12.86)

46 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का 30 प्रतिशत नगरीय निकायों के संधारण व्यय हेतु अनाबद्ध (Untide), 65 प्रतिशत पूंजीगत कार्यों हेतु आबद्ध (Tide), तथा शेष 5 प्रतिशत निष्पादन अनुदान (Peformance Grant), के रूप में प्रदान की जाये। (परिच्छेद 12.88)

47 1. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा तथा समनुदेशित प्राप्तियों की विभिन्न मदों के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों की आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार उनके हिस्से की राशि, इसी प्रायोजन के लिये खोले गये पृथक बैंक खाते में PFMS द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायें।

2. राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आबद्ध (Tide) एवं अनाबद्ध (Untide) राशि नियमानुसार व्यय हो इस हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभाग द्वारा जारी किये जायें तथा वित्तीय अनुशासन के लिये नियमों का कठोरता से पालन कराया जाये। (परिच्छेद 12.89)

48 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जितनी राशि एक वर्ष में स्वयं के स्रोत से प्राप्त की जाती है उतनी समतुल्य राशि आगामी वर्ष में उस ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदान की जाये। (परिच्छेद 12.91)

49 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय निकायों द्वारा गत वर्ष की तुलना में, स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों में जितनी राशि की वृद्धि की जाती है, उतनी राशि आगामी वर्ष में नगरीय निकाय को निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदान की जाये। (परिच्छेद 12.93)

50 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल राशि में से, पांच प्रतिशत राशि अभिसरण मद में ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाये। इस राशि का केवल अभिसरण

हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा। पंचायत संचालनालय इसके उपयोग संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे। (परिच्छेद 12.94)

51 अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायत तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, प्रदेश के ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों वाले ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों की पहचान करें, और उस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आंकलन करें तथा आवश्यक राशि राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में संबंधित स्थानीय निकायों को दिया जाये। (परिच्छेद 12.95)